न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 33/2024

उनवान

1. उमेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति बलाई निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. जरिये मुख्त्यारआम असलम खान पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. सुरेश कुमार बुनकर पुत्र जगदीश प्रसाद बुनकर
3. उदाराम पुत्र मुरलीधर
   समस्त जाति बलाई निवासी सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
4. तुलसीराम पुत्र मुरली, जाति रैगर
5. कमला पुत्री मैदाराम
6. शांति पुत्री मैदाराम
7. मनभर देवी पत्नि टोडरमल
   समस्त जाति बलाई निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
8. गीता पुत्री बीजाराम
9. प्रेमलता पुत्री बीजाराम
10. मोहिनी पुत्री बीजाराम
11. नर्बदा पत्नि पप्पू
12. रेखा पुत्री पप्पू
    समस्त जाति बलाई निवासी चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर राज0
13. श्रवणलाल पुत्र मूलाराम जाति बलाई निवासी सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
14. उप जिला वन अधिकारी कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांक: 18/11/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1517 रकबा 1.2400 भूमि वाकै ग्राम पठानों का बास पटवार हल्का अमरसर तह0 शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। जिसका उप तहसीलदार अमरसर के आदेश क्रमांक/कैम्प/2023/207 दिनांक 05.06.2023 की पालना में दिनांक 28.06.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं. 14 की ओर से दिनांक 16.05.2024 को यू.टी. दी। दिनांक 26.06.2024 को अप्रार्थी सं. 14 की ओर वकील

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 की तामील को हो चुकी है जो बावजूद तामील व सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरुद्ध दिनांक 10.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। शेष अप्रार्थी संख्या 8, 9, 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरुद्व दिनांक 14.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गयी। तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक/भू.अ./2024/3414 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1517 रकबा 1.24 है0 भूमि वाके पठानों का बास में उमेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति बलाई निवासी अमरसर की खातेदारी भूमि है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 28.06.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की जड़ से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का धिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक कदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से रक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 114 में प्रश्नागत राजी खसरा नम्बर 1517 रकबा 1.2400 है0 वाके ग्राम पठानों का बास पटवार हल्का मरसर तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में ताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2023 के अनुसार वन विभाग की तरफ को छोडकर यमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ....18/11/24........ को सरे इजलास सुनाया गया ।

शाहपुरा उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण